रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1610] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ज्येष्ठ 17, 1939
No. 1610] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2017

का.आ. 1817(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1166 तारीख 21 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुए है;

और, अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित है, यह अमचांग आरक्षित वन, दक्षिण अमचांग आरक्षित वन और खानापाडा आरक्षित वन से मिलकर बना है तथा 26° 13′ उ से 26° 06′ उ अक्षांश और 91° 50′ पू से 91° 58′ देशांतर की भौगोलिक सीमाओं में अवस्थित है और 78.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ;

और, अभयारण्य का मुख्य भाग छोटी पहाड़ियों से तरंगी और ढंका हुआ है जो अद्वितीय वन्यजीव निवास के साथ अद्वितीय भू-आकृति विज्ञान सुविधा के लिए है । अमचांग वन्यजीव अभयारण्य पशुओं और पौधों की प्रजातियों की व्यापक विविधता के लिए समृद्ध और विविध पारिस्थितिक आवासों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है । वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य पशुओं में हुलांक उतक, चीन साल, सूरज-भगत, असमिया लघु पुच्छ वानर, केपड लंगूर, लजीला वानर, तेंदुआ, हाथी, सांभर, मुंजक, गौर आदि पाए जाते हैं । वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जीवजंतु, सरीसृपों, उभयचरों और कीड़े मकोड़े की विस्तृत विविधता पाई जाती है ।

और, अभयारण्य गुवाहाटी शहर की पूर्वी सीमा पर अवस्थित है तथा सीमांत क्षेत्रों में जैविक दबाव में वृद्धि से अभयारण्य का पर्यावास प्रभावित हो सकता है ।

और, अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को अमचांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-**

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 109.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका विस्तार अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 170 मीटर से 8.1 वर्ग किलोमीटर तक है (छावनी क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पश्चिम की ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा शून्य है) और उस जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में दिया गया है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 37 ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

3. अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यावरण;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

IndiaCode

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का भी विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए भी पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए सारणी के सूचीबद्ध क्रियाकलाप विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का प्रमुख वाणिज्यिक या प्रमुख आवासीय परिसर या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा। मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन गृह वास सम्मिलित है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अधीन दिए गए हैं:

परंतु यह और भी किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के संबद्ध राज्य विधियों और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

IndiaCode

(2) **प्राकृतिक जल निकाय**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/ पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना, पर्यावरण और वन के राज्य विभागों के परामर्श , पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन का विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के एक भाग के रुप में उनके परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उनके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की अनुपालना में होगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनके संशोधनों की अनुपालना में होगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा उपदर्शित मानकों और उनके संशोधनों, इनमें जो भी अधीन कठोर हो, की अनुपालना में पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावणीय रुप से स्वीकार्य रीति में पारिस्थितिक संवेदी जोन से बाहर पहचान किए गए स्थल पर किया जाएगा ;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट और भूमि भराई स्थापना कोई ज्वलन या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.-जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **इलैक्ट्रानिकी–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध नियमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केवल गैर प्रदूषण उद्योग, फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में उद्योगों के वर्गीकरण अनुज्ञा दी जाएगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषित उद्योगों को संवर्धक किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपायों विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों सहित नए तेल और गैस अन्वेषण उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा प्रतिषिद्ध है ।
7.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।

14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी किनारों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	खुले कुओं, बोर कुओं, आदि का कृषि और अन्य के लिए उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

IndiaCode

	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि जैव विविधता सहित कृषि-वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	हरित कौशल सहित कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास प्रत्यावर्तन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए निगरीनी समिति गठित करती है, पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(1) उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो) - अध्यक्ष

(2) पुलिस उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो) पूर्व – सदस्य

(3) पुलिस उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो), केंद्रीय - सदस्य

(4) निदेशक, असम पर्यटन विभाग- सदस्य

(5) प्रभागीय वन अधिकारी, कामरूप पूर्व विभाग – सदस्य

(6) असम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य

(7) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए असम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य

(8) परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कामरूप महानगर जिला – सदस्य

(9) प्रभागीय अधिकारी, मृदा संरक्षण प्रभाग, कामरूप महानगर जिला – सदस्य

(10) ज्येष्ठ पर्यावरण इंजीनियर (प्रादेशिक कार्यालय), बामुनीमैदाम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड– सदस्य

(11) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कामरूप महानगर जिला – सदस्य

(12) जिला कृषि अधिकारी, कामरूप महानगर जिला– सदस्य

(13) जिला पशुपालन और पशु चिकित्सा अधिकारी, कामरूप महानगर जिला– सदस्य

(14) कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (सड़क प्रभाग), कामरूप महानगर जिला– सदस्य

India.com

(15) कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (भवन प्रभाग), कामरूप महानगर जिला– सदस्य

(16) सदस्य जैव-विविधता बोर्ड -सदस्य

(17) प्रभागीय वन अधिकारी, गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग - सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन .-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/204/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर : अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की उत्तरी सीमा भू-भाग (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 12′ 14.7″ पू 91° 51′ 29.4″) के उत्तरी भाग में पानीखैती में रेलवे भू-भाग के स्तर को पार करके स्थित पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.1 से आरंभ होकर और ब्रह्मपुत्र नदी को पोर करती है और 7415 मीटर की दूरी पर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 16′ 15.7″ पू 91° 51′ 26.4″) बिन्दु सं. 2 से मिलती है। इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है। पारिस्थितक संवेद जोन बिन्दु सं. 2 सं पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 3 तक की दूरी 6454 मीटर है सीमा ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर टर के साथ जाती है। और पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 3 (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 16′ 56.7″ पू 91° 55′ 14.6″) से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 3 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु 4 तक यह दक्षिण पूर्व दिशा की और जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करती है और दक्षिण तट से 4983 मीटर (जी पी एस निर्देशांकs उ 26° 15′ 05.3″ पू 91° 57 25.0″) की दूरी पर पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 4 पहँचती है जहाँ कोलोंग नदी मिलती है। पारिस्थितक संवेदी जोन बिन्दु सं. 4 से पारिस्थितिक संवेदी जोन से बिन्दु सं. 5 तक यह 856 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 14′ 38.2″ पू 91° 57′ 31.9″) की दूरी पर एस. एच-3 के कोलोंग नदी पुल के दक्षिण-पूर्व कोण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 5 पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 6 तक सीमा रेखा चंद्रपुर डीगरु पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के निकट से होते हुए 2454 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 14′ 0.6″ पू 91° 56′ 31.9″) की दूरी पर जाती है पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 6 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 7 तक सीमा राखा रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद उसी सड़क पर 977 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 13′ 28.9″ पू 91° 56′ 16.1″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है।

पूर्व : पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.7 पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 8 तक सीमा रेखा उसी सड़क के उत्तर किनारे पर 2412 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°13′11.2″ पू 91°57′ 40.8″) की दूरी पूर्व की ओर जाती है और रेलवे भू-भाग के पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.8 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 9 तक सीमा रेखा चंद्रपुर-डीगरु पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के पूर्वी भाग पर 626 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°12′50.9″ पू 91° 57′ 39.5″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 9 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 10 तक सीमा रेखा 455 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°12′39.6″ पू 91° 57′ 50.1″) की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। ओर रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद डीगरु नदी के पश्चिम तट से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.11 तक सीमा रेखा रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद चंद्रपुर डीगरु पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के दक्षिण किनारे पर 890 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°12′11.4″ पू 91° 57′ 57.3″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 11 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 12 तक सीमा रेखआ पनबरी ग्राम के धानभूमी क्षेत्र से होते हुए 409 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°11′58.1″ पू 91° 57′ 57.5″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.12 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 13 तक सीमा रेखा बेलगुरी ग्राम के पश्चिम भाग में 3263 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°10′13.9″ पू 91°57′35.6″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.13 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 14 तक सीमा रेखा बेलगुरी क्षेत्र में 891 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°09′57.3″ पू 91° 57′ 09.3″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 14 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 15 तक

सीमा रेखा अमसींगा जोराबट पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के उत्तर भाग पर 1106 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°09′27.6″ पू 91° 56′ 46.8″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.15 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 16 तक सीमा रेखा बमुनखत ग्राम के पश्चिम 1717 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°08′32.6″ पू 91° 56′ 57.3″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.16 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 17 तक सीमा रेखा बतकुची ग्राम के उत्तरी भाग में 723 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°08′15.5″ पू 91° 56′ 39.4″) की दूरी पर पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.17 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 18 तक सीमा 1208 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′37.9″ पू 91° 56′ 36.9″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है और जुगदाल डीगरु तीनीअली सड़क के पूर्वी भाग से मिलती है।

दक्षिण : पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.18 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 19 तक सीमा रेखा लालमती ग्राम के दक्षिण से 736 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′26.0″ पू 91° 56′ 03.9″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 19 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 20 तक सीमा रेखा नजीराखत क्षेत्र में एन.एच. 37 के उत्तरी भाग में 478 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′20.7″ पू 91° 55′ 47.7″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 20 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 21 तक सीमा रेखा नजीराखत क्षेत्र में एन. एच. 37 के उत्तर से 766 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′21.3″ पू 91° 55′ 20.1″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 21 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 22 तक सीमा रेखा 774 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′17.2″ पू 91° 54′ 52.6″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। और तेपेसिया क्षेत्र में एन.एच 37 के उत्तरी भाग में मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 22 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 23 तक सीमा रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है। और मेधीकुची क्षेत्र में एन.एच. 37 के दक्षिण से 649 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′09.7″ पू 91° 54′19.5″) की दूरी पर एन.एच. 37 को पार करके जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 23 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 24 तक सीमा रेखा एन. एच. 37 के उत्तर से 1517 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 06′ 56.2″ पू 91° 53′ 27.1″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 24 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 25 तक सीमा रेखा एन. एच. 37 को पार करके 1225 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°06′16.7″ पू 91° 53′ 21.4″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और मरकदोला आर. एफ से होते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 25 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 26 सीमा रेखा मरकदोला आर.एफ. से होते हुए 409 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°06′06.4″ पू 91° 53′ 12.1″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 26 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 27 तक सीमा रेखा जोराबट के निकट घनश्याम ग्राम के दक्षिण भाग से 713 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°05′57.32″ पू 91°52′48.5″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 27 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 28 तक सीमा रेखा 375 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°05′57.6″ पू 91° 52′ 35.0") की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है । जोराबट में एन.एच. 37 और एन.एच. 44 के जंक्शन बिंदु से मिलती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 28 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 29 सीमा रेखा 6582 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′08.7″ पू 91° 49′19.9″) की दूरी पर खानापारा फ्लाईओवर के एन. एच-37 के दक्षिणी किनारे के साथ जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 23 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 26 तक पी. ए. सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के बीच की दूरी 300 मीटर है।

पश्चिम : पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 29 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 30 तक सीमा रेखा 1083 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′42.5″ पू 91°49′08.3″) की दूरी पर उत्तर की ओर जाती है और वेटेरनरी कॉलेज हॉस्टल, खानापारा के पीछे से जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 30 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 31 तक सीमा रेखा संकरदेव कालाखेता के उत्तर भाग के साथ 566 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′09.3″ पू 91°49′16.6″) की दूरी पर उत्तर की ओर जाती है इसके बाद छहमील-पनजाबरी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के दक्षिण भाग से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 31 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 32 तक सीमा रेखा छह मील पनजाबरी सड़क के साथ जाती है यह 1141 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°08′07.4″ पू 91° 50′03.7″) की दूरी पर आर्मी गेट से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 32 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 33 तक सीमा रेखा नरेनगी आर्मी कैट से होते हुए 2807 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 08′15.1″ पू 91° 51′07.5″) की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 33 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 34 तक सीमा रेखा 1812 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 08′53.3″ पू 91°51′57.2″) की दूरी पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाती है और नरेनगी आर्मी कैंट से होते हुए जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 34 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 35 तक सीमा रेखा 2183 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 09′04.1″ पू 91° 50′39.5″) की दूरी पर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और सतगाँव आर्मी गेट के दक्षिण भाग से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 35 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 36 तक सीमा रेखा 760 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 09′25.7″ पू 91° 50′26.2″) की दूरी पर उत्तर की ओर जाती है और पथरकुररी तीनीअली में खानापारा-नरेनगी वी.आई.पी एक्सप्रेस राजमार्ग से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 36 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 37 सीमा रेखा खानापारा नरेनगी वी.आई.पी. एक्सप्रेस राजमार्ग के पूर्वी भाग के साथ दमल बील (जल निकाय) को ढंककर नरेनगी तीनीअली के 1842 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 10′12.1″ पू 91° 49′44.3″) की दूरी पर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 37 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 38 तक सीमा रेखा 1081 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 10′46.3″ पू 91° 49′53.2″) की दूरी पर नरेनगी तीनीअली के निकट रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद विद्यार्थी भवन के उत्तर की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 38 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 39 तक सीमा रेखा 714 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ26°10′59.6″ पू91° 50′14.3″) की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा की और जाती है जहाँ यह बोनदजन के रेलवे भू-भाग (नरेनगी-डीगरु) से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 39 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 1 तक सीमा रेखा 3113 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°12′14.7″ पू 91° 51′29.4″) की दूरी पर रेलवे भू-भाग के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है और पानीखाइनी रेलवे स्तर के पार करके पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.1 से मिलती है।

उपाबंध-II

अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम	जिला
1.	कमरकुची ग्राम	कमरूप
2.	झर गांव	कमरूप
3.	चागोली गांव	कमरूप
4.	पतरकुछी	कमरूप

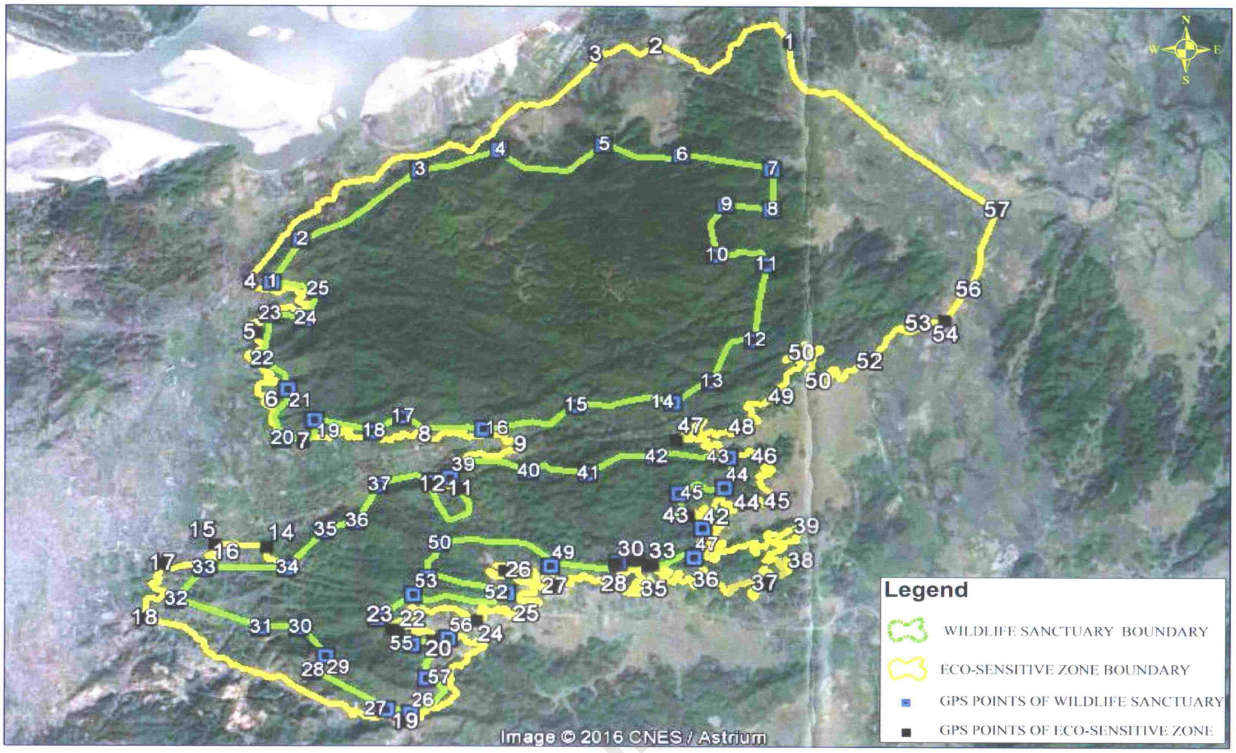
5.	हातीमुरा	कमरूप
6.	जुगदल ग्राम	कमरूप
7.	मेधीकुची ग्राम	कमरूप
8.	गरिया घुली ग्राम	कमरूप
9.	घनश्याम बस्ती	कमरूप
10.	बोटाघुली (इसुब नगर)	कमरूप
11.	झरना बस्ती	कमरूप
12.	घुली गांव	कमरूप
13.	हस्तिनापूर	कमरूप
14.	हल्दीबरी ग्राम	कमरूप
15.	नजीराखत	कमरूप
16.	बोटाकुची ग्राम	कमरूप
17.	बेलगुरी बस्ती	कमरूप
18.	कलीताकुची बस्ती	कमरूप
19.	टालटोला तलटोल नेपाली बस्ती	कमरूप
20.	इमली बस्ती	कमरूप
21.	सतगांव	कमरूप
22.	सं1सतटोल बस्ती	कमरूप
23.	खानापारा (एन.के बस्ती)	कमरूप
24.	मधहन नगर	कमरूप
25.	नावाज्याति नगर	कमरूप
26.	अमगांव टातीबगन	कमरूप
27.	बारीकुची ग्राम	कमरूप
28.	ठाकुरकुची ग्राम	कमरूप
29.	हजमबोरी ग्राम	कमरूप
30.	हतीसीला पहर	कमरूप
31.	ईकोरा बस्ती	कमरूप
32.	लाहापारा(पानीखाईती)	कमरूप
33.	पानीखाईती रलीगेट	कमरूप
34.	पनबरी ग्राम	कमरूप
35.	गारोबस्ती रोजाकुची	कमरूप
36.	बीरकुची सं. 2	कमरूप
37.	गांधी नगर(पानीखती)	कमरूप

IndiaCode

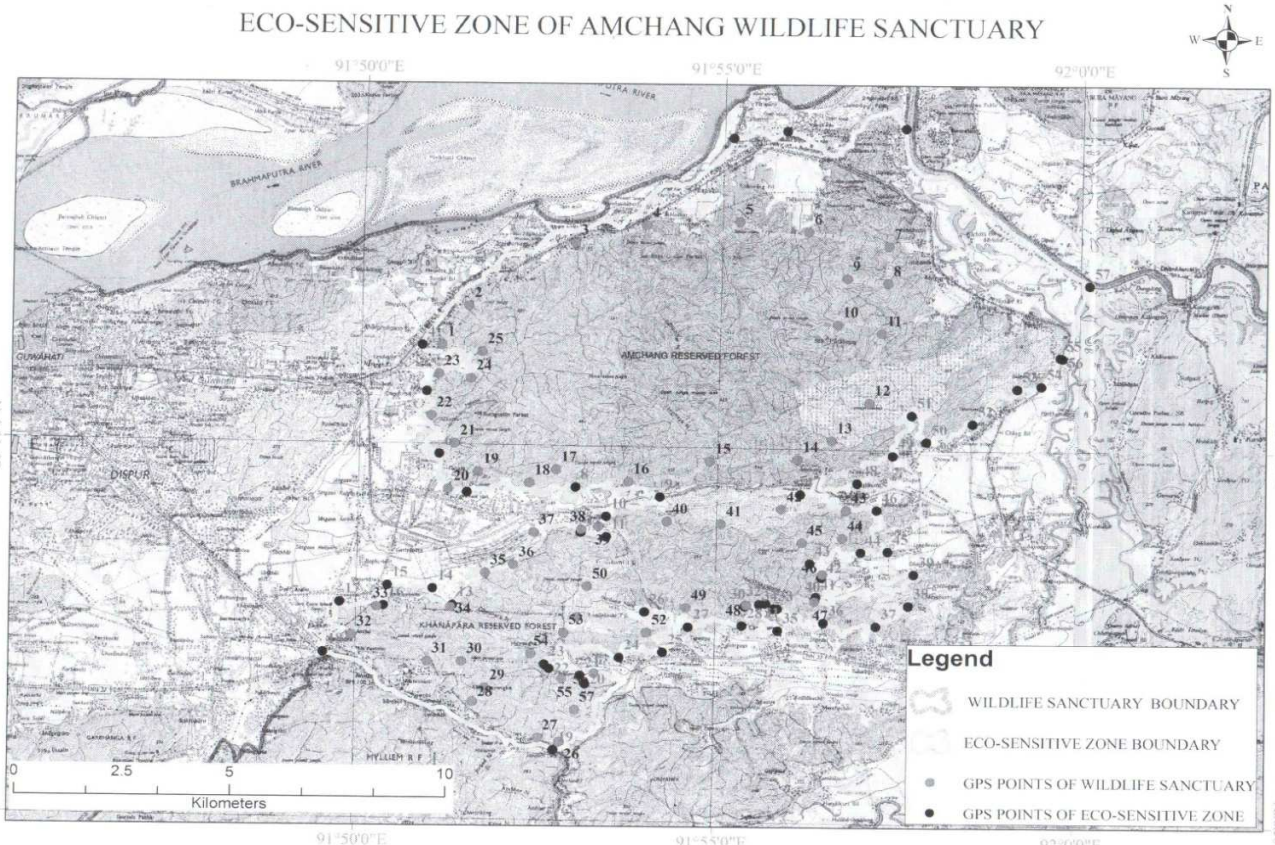
उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर सहित अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY



ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY



अमचांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के सीमा के बिन्दुओं का जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ26° 12' 14.7"	पू 91° 51' 29.4"
2	उ26° 16' 15.7"	पू 91° 51' 26.4"
3	उ26° 16' 56.7"	पू 91° 55' 14.6"
4	उ26° 15' 05.3"	पू 91° 57' 25.0"
5	उ26° 14' 38.2"	पू 91° 57' 31.9"
6	उ26° 14' 00.6"	पू 91° 56' 13.9"
7	उ26° 13' 28.9"	पू 91° 56' 16.1"
8	उ26° 13' 11.2"	पू 91° 57' 40.8"
9	उ26° 12' 50.9"	पू 91° 57' 39.5"
10	उ26° 12' 39.6"	पू 91° 57' 50.1"
11	उ26° 12' 11.4"	पू 91° 57' 57.3"
12	उ26° 11' 58.1"	पू 91° 57' 57.5"
13	उ26° 10' 13.9"	पू 91° 57' 35.6"
14	उ26° 09' 57.3"	पू 91° 57' 09.3"
15	उ26° 09' 27.6"	पू 91° 56' 46.8"
16	उ26° 08' 32.6"	पू 91° 56' 57.3"
17	उ26° 08' 15.5"	पू 91° 56' 39.4"
18	उ26° 07' 37.9"	पू 91° 56' 26.9"
19	उ26° 07' 26.0"	पू 91° 56' 03.9"
20	उ26° 07' 20.7"	पू 91° 55' 47.7"
21	उ26° 07' 21.3"	पू 91° 55' 20.1"
22	उ26° 07' 17.2"	पू 91° 54' 52.6"
23	उ 26° 07' 09.7"	पू 91° 54' 19.5"
24	उ26° 06' 56.2"	पू 91° 53' 27.1"
25	उ26° 06' 16.7"	पू 91° 53' 21.4"
26	उ26° 06' 06.4"	पू 91° 53' 12.1"
27	उ26° 05' 57.3"	पू 91° 52' 48.5"
28	उ25° 05' 57.6"	पू 91° 52' 35.0"
29	उ26° 07' 08.7"	पू 91° 49' 19.9"
30	उ26° 07' 42.5"	पू 91° 49' 08.3"
31	उ26° 07' 59.3"	पू 91° 49' 16.6"
32	उ26° 08' 06.6"	पू 91° 49' 26.9"
33	उ26° 08' 15.1"	पू 91° 51' 07.5"
34	उ26° 08' 53.3"	पू 91° 51' 57.2"

IndiaCode

35	उ26° 09' 04.1"	पू 91° 50' 39.5"
36	उ26° 09' 25.7"	पू 91° 50' 26.2"
37	उ26° 10' 12.1"	पू 91° 49' 44.3"
38	उ26° 10' 46.3"	पू 91° 49' 53.2"
39	उ26° 10' 59.6"	पू 91° 50' 14.3"

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2017

S.O. 1817(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 1166(E), 21st March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Amchang Wildlife Sanctuary situated in Kamrup District of State of Assam consists of Amchang Reserve Forest, South Amchang Reserve Forest and Khanapara Reserve Forest and located within the geographical limits of 26^{o} 13′N to 26^{o} 06′ N latitude and 91^{o} 50′ E to 91^{o} 58′ longitude and is spread over an area of 78.64 square kilometers;

AND WHEREAS, major portion of the sanctuary is undulating and covered by hillocks which forms a unique geomorphologic feature with unique wildlife habitat and the Amchang Wildlife Sanctuary represents one of the rich and ecologically diverse habitat for the wide variety of animals and plant species. Hollockgibbon, Chinese pangolin, Flying squirrel, Assamese Macaque, Capped languor, Slow loris, Leopard, Elephant, Sambar, Barking Deer, Gaur etc., are the principal animals found in the wildlife sanctuary. In addition to these a wide variety of avian fauna, reptiles, amphibians and insects are found in the wildlife sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary is located on the eastern limit of Guwahati city and the increase in biotic pressure in the fringe areas can affect the habitat of the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Amchang Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of Amchang Wildlife Sanctuary in the State of Assam as the Amchang Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.—

(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 109.99 square kilometres with an extent varying from 170 meters to 8.1 kilometre (zero Eco-sensitive Zone extent on west side due to the presence of the Cantonment area) around the boundary of Amchang Wildlife Sanctuary and boundary description of Eco-sensitive Zone of such is given in **Annexure-I.**

(2)The list of 37 villages falling with the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

i. Environment,

ii. Forest and Wildlife,

iii. Agriculture,

iv. Revenue,

v. Urban Development,

vi. Tourism,

vii. Rural Development,

viii. Irrigation and Flood Control,

ix. Municipal

x. Panchayati Raj

xi. Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. small scale industries not causing pollution;

iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stay; and

v. promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-** (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the

Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio-medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of

IndiaCode

		Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as.- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board during February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board during February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities including waste management.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry including agro biodiversity .	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development including Green Skill.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee: — (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(1) Deputy Commissioner, Kamrup (Metro)	- Chairman
(2) Deputy Commissioner Police, Kamrup (Metro) East	- Member
(3) Deputy Commissioner Police, Kamrup (Metro) Central	- Member
(4) Director, Assam tourism Department	- Member
(5) Divisional Forest Officer, Kamrup East Division	- Member
(6) An expert in the area of ecology and environment of Assam for a period of three years to be nominated by the Government	-Member

(7) One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Assam for a period of three years	-Member
(8) Project Director District Rural Development Agency Kamrup Metropolitan District	- Member
(9) Divisional Officer, Soil Conservation Division, Kamrup Metropolitan District	- Member
(10) Senior Environmnet Engineer (Regional Office), Bamunimaidam, Pollution Control Board	- Member
(11) General Manager, District Industries Centre, Kamrup Metropolitan District	- Member
(12) District Agriculture Officer, Kamrup Metropolitan District	- Member
(13) District Animal Husbandry & Veterinary officer, Kamrup Metropolitan District	- Member
(14) Executive Engineer, Public Works Department (Road Division), Kamrup Metropolitan District	- Member
(15) Executive Engineer, Public Works Department (Building Division), Kamrup Metropolitan District	- Member
(16) Member, Biodiversity Board	- Member
(17) Divisional Forest Officer, Guwahati Wildlife Division	- Member- Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV.**

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/204/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure – I

BOUNDARY DESCRIPTION OF PROPOSAL ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY

North :

Northern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone of Amchang Wildlife Sanctuary starts from Eco-sensitive Zone point no.1 located on the level crossing of Railway tract at Panikhaiti at the northern side of the tract (GPS Co-ordinate N 26° 12′ 14.7″ E 91° 51′ 29.4″) and crosses the River Brahmaputra and meets point no.2 at a distance of 7415 mtrs. (GPS Co-ordinate N 26° 16′ 15.7″ E 91° 51′ 26.4″). Then it runs towards north east direction. From Eco-sensitive Zone point no.2 to Eco-sensitive Zone point no.3 for a distance of 6454 metres. The boundary runs along the north bank of river Brahmaputra and meet Eco-sensitive Zone point no.3 (GPS Co-ordinate N 26° 16′ 56.7″ E 91° 55′ 14.6″). From Eco-sensitive Zone point no.3 to Eco-sensitive Zone point no. 4 it runs towards south east direction and crosses the River Brahmaputra and reaches the ESZ point no.4 at a distance of 4983 mtrs. (GPS Co-ordinates N 26° 15′ 05.3″ E 91° 57 25.0″) to the south bank where it meets the Kolong River. From Eco-sensitive Zone point no. 4 to ESZ point no. 5 it runs up to the south- east corner of Kolong river bridge on the SH-3 at a distance of 856 mtrs. (GPS Co-ordinate N 26° 14′ 38.2″ E 91° 57′ 31.9″). From Eco-sensitive Zone point no. 5 to Eco-sensitive Zone point no. 6 the boundary line runs for a distance of 2454 meter. (GPS Co-ordinate N 26° 14′ 0.6″ E 91° 56′ 31.9″) passes through near Chandrapur Digaru PWD road. From Eco-sensitive Zone point no. 6 to Eco-sensitive Zone point no. 7 the boundary line runs towards south for a distance of 977 meter. (GPS Co-ordinate N 26° 13′ 28.9″ E 91° 56′ 16.1″) on the same road after crossing the railway tract.

East :

From Eco-sensitive Zone point no.7 to Eco-sensitive Zone point No. 8 the boundary line runs towards east for a distance of 2412 meters(GPS Co-ordinate N 26°13′11.2″ E 91°57′ 40.8″) on the north edge of the same road and west ward of the railway tract. From Eco-sensitive Zone point no.8 to Eco-sensitive Zone point no. 9 the Boundary line runs towards south for a distance of 626 meters. (GPS Co-ordinate N 26°12′50.9″ E 91° 57′ 39.5″) on the eastern side of Chandrapur-Digaru Public Works Department road. From Eco-sensitive Zone point no. 9 to Eco-sensitive Zone point no. 10 the boundary line runs towards south east direction for a distance of 455 meters. (GPS Co-ordinate N 26°12′39.6″ E 91° 57′ 50.1″) and meets the western bank of Digaru River after crossing the railway tract. From Eco-sensitive Zone point no.10 to Eco-sensitive Zone point no.11 the boundary line runs towards south for a distance of 890 meters. (GPS Co-ordinate N 26°12′11.4″ E 91° 57′ 57.3″) on the south edge of Chandrapur Digaru Public Works Department road after crossing the railway tract. From Eco-sensitive Zone point no. 11 to Eco-sensitive Zone point no. 12 the boundary line runs towards south for a distance of 409 mtrs. (GPS Co-ordinate N 26°11′58.1″ E 91° 57′ 57.5″) through Panbari village paddy field area. From Eco-sensitive Zone point no.12 to Eco-sensitive Zone point no. 13 the boundary line runs towards south for a distance of 3263 meters. (GPS Co-ordinate N26°10′13.9″ E 91°57′35.6″) in west side of Belguri village. From Eco-sensitive Zone point no.13 to Eco-sensitive Zone point no. 14 the boundary line runs towards south west direction for a distance of 891 meters.(GPS Co-ordinate N 26°09′57.3″ E 91° 57′ 09.3″) in Belguri area. From Eco-sensitive Zone point no.14 to Eco-sensitive Zone point no. 15 the boundary line runs towards south for a distance of 1106 meters. (GPS Co-ordinate N 26°09′27.6″ E 91° 56′ 46.8″) on the north side of Amsing Jorabat Public Works Department road. From Eco-sensitive Zone point no.15 to Eco-sensitive Zone point no. 16 the boundary lines runs towards south for a distance of 1717 meters. (GPS Co-ordinate N 26°08′32.6″ E 91° 56′ 57.3″) to the west of Bamunkhat village. From Eco-sensitive Zone point no.16 to Eco-sensitive Zone point no. 17 the boundary line runs towards south for a distance of 723 meters. (GPS Co-ordinate N 26°08′15.5″ E 91° 56′ 39.4″) in the northern side of Batakuchi village. From Eco-sensitive Zone point no.17 to Eco-sensitive Zone point no. 18 the boundary line runs towards south for a distance of 1208 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′37.9″ E 91° 56′ 36.9″) and meets the eastern side of Jugdol- Digaru Tiniali road.

South:

From Eco-sensitive Zone point no.18 to Eco-sensitive Zone point no. 19 the boundary line runs towards south west direction for a distance of 736 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′26.0″ E 91° 56′ 03.9″) to the south of Lalmati Village. From Eco-sensitive Zone point no.19 to Eco-sensitive Zone point no. 20 the boundary line runs towards west for a distance of 478 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′20.7″ E 91° 55′ 47.7″) in the northern side of NH-37 at Nazirakhat area. From Eco-sensitive Zone point no.20 to Eco-sensitive Zone point no. 21 the boundary line runs towards west for a distance of 766 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′21.3″ E 91° 55′ 20.1″) to the north of NH-37 in Nazirakhat area. From Eco-sensitive Zone point no.21 to Eco-sensitive Zone point no. 22 the boundary line runs towards west for a distance of 774 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′17.2″ E 91° 54′ 52.6″) and meets the northern side of NH-37 in Tepesia area. From Eco-sensitive Zone point no.22 to Eco-sensitive Zone point no. 23 the boundary line runs towards south-west direction and crosses the NH-37 at a distance of 649 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′09.7″ E 91° 54′19.5″) to the south of NH-37 in Medhikuchi area. From Eco-sensitive Zone point no.23 to Eco-sensitive Zone point no. 24 the boundary line runs towards west for a distance of 1517 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 06′ 56.2″ E 91° 53′ 27.1″) to the north of NH-37. From Eco-sensitive Zone point no.24 to Eco-sensitive Zone point no. 25 the boundary line runs towards south west for a distance of 1225 meters. (GPS Co-ordinate N 26°06′16.7″ E 91° 53′

21.4″) crosses NH 37 and passes through Marakdola R.F. From Eco-sensitive Zone point no. 25 to Eco-sensitive Zone point no. 26 the boundary line runs towards south west for a distance of 409 meters. (GPS Co-ordinate N 26°06′06.4″ E 91° 53′ 12.1″) passes through Marakdola Reserve Forest From Eco-sensitive Zone point no.26 to Eco-sensitive Zone point no. 27 the boundary line runs towards south west for a distance of 713 meters. (GPS Co-ordinate N 26°05′57.32″ E 91°52′48.5″) south side of Ghanashyam village near Jorabat. From Eco-sensitive Zone point no. 27 to Eco-sensitive Zone point no. 28 the boundary line runs towards west for a distance of 375 meters. (GPS Co-ordinate N 26°05′57.6″ E 91° 52′ 35.0") and meets junction point of NH-37 and NH-44 at Jorabat. From Eco-sensitive Zone point no. 28 to Eco-sensitive Zone point no. 29 the boundary line runs along the southern edge of NH-37 up to Khanapara flyover at a distance of 6582 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′08.7″ E 91° 49′19.9″). From Eco-sensitive Zone point No.23 to Eco-sensitive Zone point No.26 the distance in between the protected area boundary and the Eco-sensitive Zone boundary is 300 meter.

West :

From Eco-sensitive Zone point no.29 to Eco-sensitive Zone point no. 30 the boundary line runs towards north for a distance of 1083 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′42.5″ E 91°49′08.3″) and runs behind the Veterinary College Hostel, Khanapara. From Eco-sensitive Zone point no. 30 to Eco-sensitive Zone point no.31 the boundary line runs towards north for a distance of 566 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′09.3″ E 91°49′16.6″) along the north side of Sankardev Kalakhetra then meets the southern side of Six Mile- Panjabari Public Works Department road. From Eco-sensitive Zone point no. 31 to Eco-sensitive Zone point no. 32 the boundary line runs along the Six mile Pannjabari road till it meet Army gate for a distance of 1141 meters. (GPS Co-ordinate N 26°08′07.4″ E 91° 50′03.7″). From Eco-sensitive Zone point no. 32 to Eco-sensitive Zone point no. 33 the boundary line runs towards east direction for a distance of 2807 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 08′15.1″ E 91° 51′07.5″) through the Narengi Army Cantonment. From Eco-sensitive Zone point no. 33 to Eco-sensitive Zone point no. 34 the boundary line runs towards north-east direction for a distance of 1812 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 08′53.3″ E 91°51′57.2″) and passes through Narengi Army Cantonment. From Eco-sensitive Zone point no.34 to Eco-sensitive Zone point no. 35 the boundary line runs towards north-west direction for a distance of 2183 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 09′04.1″ E 91° 50′39.5″) and meets the southern side of Satgaon Army gate. From Eco-sensitive Zone point no. 35 to Eco-sensitive Zone point no. 36 the boundary line runs towards north for a distance of 760 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 09′25.7″ E 91° 50′26.2″) and meets at Khanapara-Narengi VIP Express Highway at Patharquarry Tiniali. From Eco-sensitive Zone point no. 36 to Eco-sensitive Zone point no.37 the boundary line runs along the eastern side of Khanapara–Narengi VIP express Highway for a distance of 1842 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 10′12.1″ E 91° 49′44.3″) up-to Narengi Tiniali covering the Damal Beel (Water body). From Eco-sensitive Zone point no. 37 to Eco-sensitive Zone point no. 38 the boundary line runs towards north up to Vidyarthi Bhaban after crossing the Railway tract near Narengi Tiniali for a distance of 1081 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 10′46.3″ E 91° 49′53.2″). From Eco-sensitive Zone point no. 38 to Eco-sensitive Zone point no. 39 the boundary line runs towards north East direction for a distance of 714 meters. (GPS Co-ordinate N26°10′59.6″ E91° 50′14.3″) where it meets Bondajan on the Railway tract (Narengi-Digaru). From Eco-sensitive Zone point no. 39 to Eco-sensitive Zone point no. 1 the boundary line runs towards north east direction along the railway tract at a distance of 3113 meters.(GPS Co-ordinate N 26°12′14.7″ E 91° 51′29.4″)and meets Eco-sensitive Zone point no.1 at Panikhaity Railway level crossing.

ANNEXURE-II

LIST OF REVENUE VILLAGES IN PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY

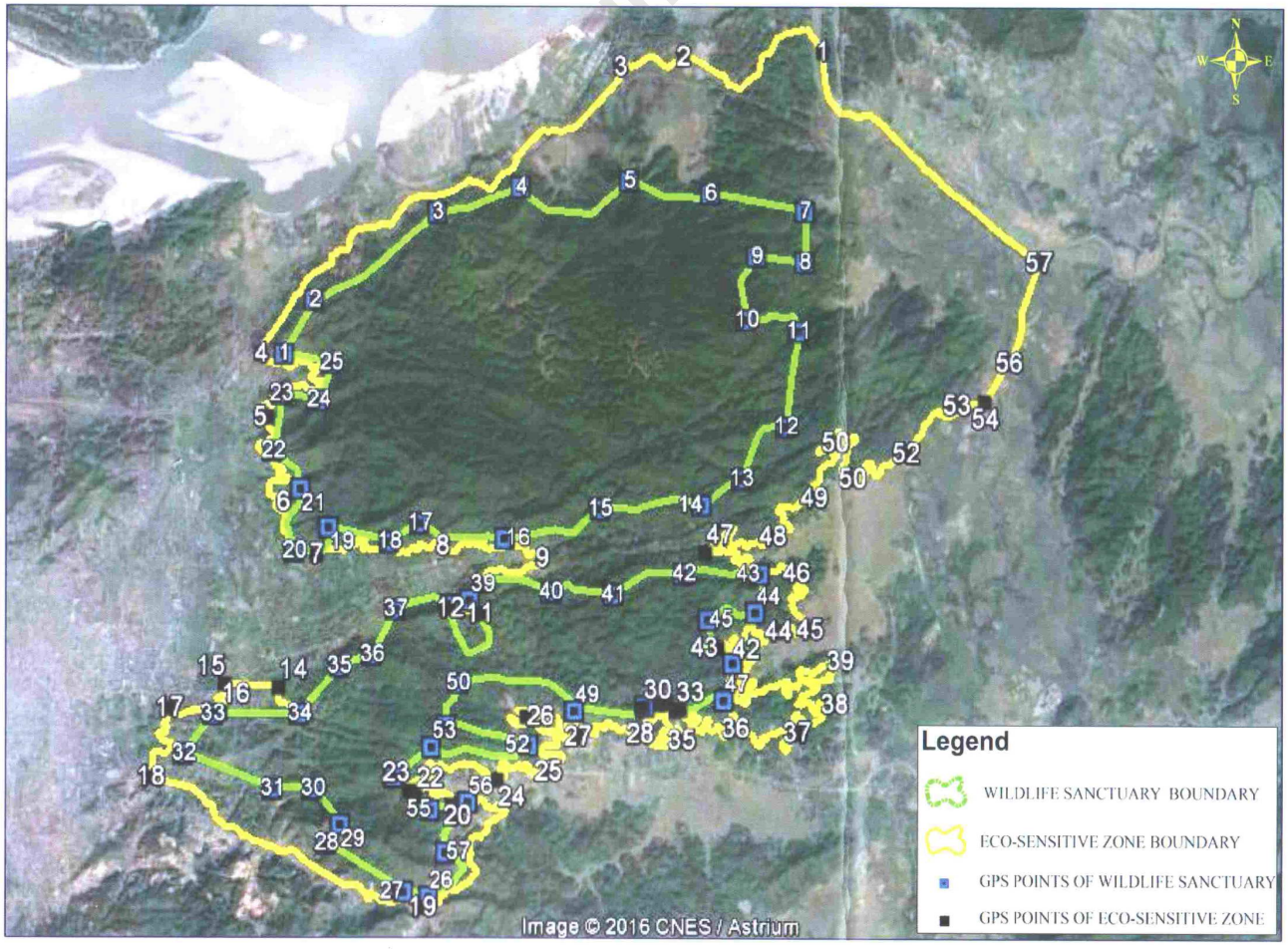
Sl. No.	Village	District
1.	Kamarkuchi village	Kamrup
2.	Jhar gaon	Kamrup
3.	Chagoli Gaon	Kamrup
4.	Patarkuchi	Kamrup
5.	Hatimura	Kamrup
6.	Jugdal Village	Kamrup
7.	Medhikuchi Village	Kamrup
8.	Garia Ghuli Village	Kamrup
9.	Ghanasyam Basti	Kamrup
10.	Botaghuli (Eusub Nagar)	Kamrup
11.	Jharna Basti	Kamrup
12.	Ghuli Gaon	Kamrup
13.	Hastinapur	Kamrup
14.	Haldibari Village	Kamrup
15.	Nazirakhat Village	Kamrup
16.	Botakuchi Village	Kamrup
17.	Belguri Basti	Kamrup

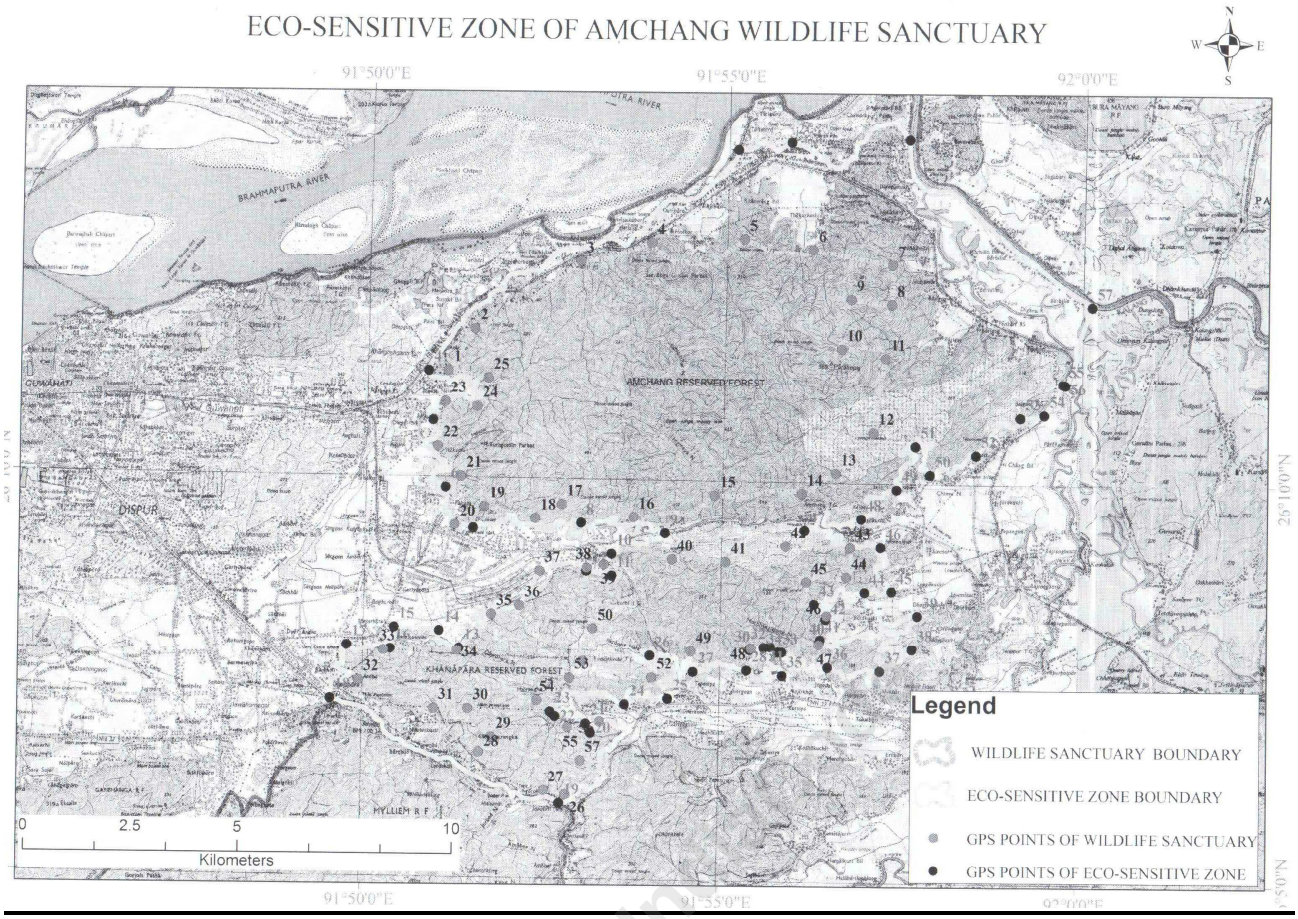
18.	Kalitakuchi Basti	Kamrup
19.	Taltola Nepali Basti	Kamrup
20.	Eimly Basti	Kamrup
21.	Satgaon	Kamrup
22.	1 No. Taltola Basti	Kamrup
23.	Khanapara (N.K.Garo Basti)	Kamrup
24.	Madhab Nagar	Kamrup
25.	Navajyoti Nagar	Kamrup
26.	Amgaon Tatibagan	Kamrup
27.	Birkuchi Village	Kamrup
28.	Thakurkuchi Village	Kamrup
29.	Hajambori Village	Kamrup
30.	Hatisila Pahar	Kamrup
31.	Eikora Basti	Kamrup
32.	Lahapara (panikhaiti)	Kamrup
33.	Panikhaiti Raligate	Kamrup
34.	Panbari Village	Kamrup
35.	Garobasti Rojakuchi	Kamrup
36.	Birkuchi No. 2	Kamrup
37.	Gandhi Nagar (Panikhaiti)	Kamrup

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY





GPS COORDINATE OF THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Latitude	Longitude
1	N26° 12' 14.7"	E 91° 51' 29.4"
2	N26° 16' 15.7"	E 91° 51' 26.4"
3	N26° 16' 56.7"	E 91° 55' 14.6"
4	N26° 15' 05.3"	E 91° 57' 25.0"
5	N26° 14' 38.2"	E 91° 57' 31.9"
6	N26° 14' 00.6"	E 91° 56' 13.9"
7	N26° 13' 28.9"	E 91° 56' 16.1"
8	N26° 13' 11.2"	E 91° 57' 40.8"
9	N26° 12' 50.9"	E 91° 57' 39.5"
10	N26° 12' 39.6"	E 91° 57' 50.1"
11	N26° 12' 11.4"	E 91° 57' 57.3"
12	N26° 11' 58.1"	E 91° 57' 57.5"
13	N26° 10' 13.9"	E 91° 57' 35.6"
14	N26° 09' 57.3"	E 91° 57' 09.3"
15	N26° 09' 27.6"	E 91° 56' 46.8"
16	N26° 08' 32.6"	E 91° 56' 57.3"
17	N26° 08' 15.5"	E 91° 56' 39.4"
18	N26° 07' 37.9"	E 91° 56' 26.9"
19	N26° 07' 26.0"	E 91° 56' 03.9"
20	N26° 07' 20.7"	E 91° 55' 47.7"
21	N26° 07' 21.3"	E 91° 55' 20.1"
22	N26° 07' 17.2"	E 91° 54' 52.6"
23	N26° 07' 09.7"	E 91° 54' 19.5"
24	N26° 06' 56.2"	E 91° 53' 27.1"
25	N26° 06' 16.7"	E 91° 53' 21.4"
26	N26° 06' 06.4"	E 91° 53' 12.1"

27	N26° 05' 57.3"	E 91° 52' 48.5"
28	N25° 05' 57.6"	E 91° 52' 35.0"
29	N26° 07' 08.7"	E 91° 49' 19.9"
30	N26° 07' 42.5"	E 91° 49' 08.3"
31	N26° 07' 59.3"	E 91° 49' 16.6"
32	N26° 08' 06.6"	E 91° 49' 26.9"
33	N26° 08' 15.1"	E 91° 51' 07.5"
34	N26° 08' 53.3"	E 91° 51' 57.2"
35	N26° 09' 04.1"	E 91° 50' 39.5"
36	N26° 09' 25.7"	E 91° 50' 26.2"
37	N26° 10' 12.1"	E 91° 49' 44.3"
38	N26° 10' 46.3"	E 91° 49' 53.2"
39	N26° 10' 59.6"	E 91° 50' 14.3"

ANNEXURE – IV

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.09 23:13:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.